भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1039

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

मध्य प्रदेश से अपहृत लड़कियों की राजस्थान एवं हरियाणा में तस्करी

+1039. श्री मोती लाल वोरा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) की रिपोर्ट की ओर गया है, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेंत राज्य के अन्य जिलों से अपहृत लड़कियों को देह व्यापार के लिए राजस्थान एवं हरियाणा में बेचा जा रहा है:

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा लड़कियों को छुड़ाने तथा अपराधियों को पकड़ने के लिए कौन-से कदम उठाये गए है;

(ग) क्या इस प्रकार की घटनाएं कुछ अन्य राज्यों में भी हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा इसके निराकरण के लिए राज्यों को कोई निदेश जारी किये गये है; और

(ड़) यदि नहीं, तो इसके क्या करण है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) और (ख): मध्य प्रदेश राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, मानव दुर्व्यापार के लिए राजस्थान और हरियाणा में बेची जा रही लड़कियों के अपहरण के आठ मामलें ध्यान में आए हैं। इस संबंध में , 56 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे और 12 लडकियों को बचाया गया था, जिनमें से 9 लड़कियों को उनके परिवारों को सौंप दिया गया था और 3 लड़कियों को आश्रय गृहों में भेजा गया था।

(ग): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956, वैश्यावृत्ति के लिए नाबालिग लड़कियों की खरीद और वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग लड़कियों की बिक्री शीर्षों के अंतर्गत मानव दुर्व्यापार के अपराध की स्थिति (दर्ज मामले) नीचे दी गई है:

शीर्ष	2011	2012	2013	2014 (अनंतिम)
अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956	2435	2563	2579	4138
वैश्यावृत्ति के लिए नाबालिग लडकियों की खरीद	27	15	6	11
वैश्यावृत्ति के लिए नाबालिग लडकियों की बिक्री	113	108	100	49

(घ) से (ड.) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय होने के कारण, अपहरण और व्यपहरण तथा मानव दुर्व्यापार के अपराध को रोकने और इसका सामना करने का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों का है। भारत सरकार ने मानव दुर्व्यापार का सामना करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं और संबंधित मंत्रालयों और स्टेकहोल्डरों के साथ बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(i) देश के 225 जिलों में मानव-दुर्व्यापार-रोधी यूनिटों (एएचटीयू) की स्थापना।

(ii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मानव-दुर्व्यापार के संबंध में व्यापक परामर्शी-पत्र जारी किए (जो http://stophumantrafficking-mha.nic.in/forms/Sublink1.aspx?lid=92 पर उपलब्ध हैं)।

(iii) मानव-दुर्व्यापार से संबंधित मुद्दों पर एक ही स्थान पर आईटी सूचना संग्रह के रुप में मानव-दुर्व्यापार-रोधी वेब पोर्टल आरंभ किया गया (stophumantrafficking-mha.nic.in)। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के एएचटीयू के नोडल अधिकारी इ न्ट्रानेट सुविधा के साथ एक-दूसरे के साथ परस्पर सम्पर्क में हैं, जिससे दुर्व्यापार के अंतर-राज्यीय मामलों का पता लगाने में मदद मिलती है।

(iv) मानव-दुर्व्यापार का सामना करने के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों और एएचटीयू के नोडल अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित की गई।

(v) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुर्व्यापार से संबंधित मुद्दों के बारे में सलाह देने के लिए सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) का गठन किया है।

(vi) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दुर्व्यापार को रोकने, दुर्व्यापार के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास, पुन: एकीकरण और प्रत्यावर्तन के लिए उज्जवला नामक एक व्यापक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

****